रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 273] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 1972/कार्तिक 9, 1894
No. 273] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1972/KARTIKA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October 1972

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 (23 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, No. GSR-1526, dated the 8th October, 1971, namely:—

In the said notification, in the second paragraph, in items (i) and (ii), for the word "Mahasu", wherever it occurs, the word "Simla" shall be substituted.

[No. 23/4/72-Poll.I.]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1972

सा०का०नि० 455 (अ).—आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का 23) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं० सा० का०नि० 1526, दिनांक 8 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ की मद (i) और (ii) में जहां कहीं भी शब्द "महासू", आता है वहां उसके स्थान पर शब्द "शिमला" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० 23/4/72-पौल-I]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972